संख्या 5 43 पी/छः–पु–6–16–300(4)/11

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक 05, मई, 2016

बिषयः उ0प्र0 में मानव तस्करी रोकने हेतु 12 जनपदों में एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स के गठन के परिप्रेक्ष्य में उक्त यूनिट्स को थाना घोषित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–मसप्र/प–2–180/10, दिनांक 17–2–2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह (पुलिस) अनुभाग–15 के शासनादेश संख्या 92/छः–पु–15–12, दिनांक 28–3–2012 के द्वारा प्रदेश के 12 जनपदों (मऊ, कानपुर नगर, गोरखपुर, बिजनौर, जौनपुर, आजमगढ, फिरोजाबाद, पीलीभीत, सीतापुर, बलिया, बागपत नगर एवं शाहजहांपुर) में एण्टी ट्रैफिकिंग ह्यूमन यूनिट की स्थापना की गयी। इस हेतु गृह (पुलिस) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 756/6–पु–7–12–2(3)/2010, टीसी दिनांक 23–3–2012 के द्वारा संशाधनों हेतु कुल रू0 2,76,000/–की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वीकृति शर्तो के साथ प्रदान की गयी तथा शासनादेश संख्या 498/6–पु–7–12–2(3)/2010, टीसी दिनांक 23–3–2012 के द्वारा संशाधनों हेतु कुल रू0 84,00,000/–की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वीकृति शर्तो के साथ प्रदान की गयी। साथ ही गृह (पुलिस) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 156/6–पु–7–12–2(3)/2010, टीसी दिनांक 23–3–2012 के द्वारा संशाधनों हेतु श्री राज्यपाल द्वारा कुल रू0 4,20,000/–की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में स्वीकृति निर्गत की गयी है।

Seen/DS(PN)/P-15
04.05.2016
(मिनिस्ती एस0)
विशेष सचिव
गृह विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

2– सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 15020/08/2007–एटीसी, दिनांक 16–6–2010 के साथ उपलब्ध करायी गयी योजना में स्थापित की गयी एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिटस को राज्य सरकार द्वारा पुलिस

AD GO

थाने के रूप में अधिसूचित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। भारत सरकार का निर्णय निम्नवत् है :–

" The AHTU would be notified by the State Government as a Police Station for the entire district for registration and investigation of all cases relating to the crime of HumanTrafficking which would be in addition to the other Police Station in the District."

3– अतः गृह (पुलिस) अनुभाग–15 के उपर्युक्त शासनादेश द्वारा प्रदेश के 12 जनपदों (मऊ, कानपुर नगर, गोरखपुर, बिजनौर, जौनपुर, आजमगढ, फिरोजाबाद, पीलीभीत, सीतापुर, बलिया, बागपत नगर एवं शाहजहांपुर) में एण्टी ट्रैफिकिंग ह्यूमन यूनिटस को थाने के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4– उपर्युक्त थानों में अपराधों का पंजीकरण एवं उनकी विवेचना एवं तद्नुसरण में अग्रतर वांछित वैधानिक कार्यवाही संपादित की जायेगी, जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जनपद होगा।

भवदीय,

( मणि प्रसाद मिश्र )
सचिव।

संख्या (।) पी/छः–पु–6–2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– पुलिस महानिरीक्षक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2– अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
3– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12/मानवाधिकार अनुभाग।
4– संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या –15011/06/2009–एटीसी, दिनांक 22–2–2010 के संदर्भ में।
5– संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।
6– गृह (पुलिस) अनुभाग–7/15
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( के0एल0 वर्मा )
अनु सचिव।